भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नशसंख्या: 1425

उत्तर देने की तारीख: 05.03.2018

14 फाल्गुन, 1939 (शक)

आरक्षण को कार्यान्वित करना

1425. डॉ. उदित राजः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के कार्यालय ज्ञापन (ओएम), दिनांक 10 अगस्त, 2010 के अनुसार 2.7.1997 से अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा इस विलंब के लिए उत्तरदायी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) आरक्षण रोस्टर को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और
(ङ) क्या यूजीसी में संप र्क अधिकारी अजा/अजजा समुदाय से संबंधित हैं और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्ये मंत्री

(डॉ. सत्य पाल सिंह)

(क) से (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा है कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) आरक्षण नीति डीओपीटी के दिनांक 10 अगस्त, 2010 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा दिनांक 02.07.1997 से कार्यान्वित है , जब से पद आधारित आरक्षण लागू किया गया तब से यह डीओपीटी के दिनांक 30 सितंबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा निलंबन में र खा गया है। वर्तमान में यह मामला शीर्ष न्या् यालय में लंबित है।

(ड.) : यूजीसी द्वारा यह सूचित किया गया है कि उसने एक संपर्क अधिकारी अन्या पिछड़े वर्ग से और एक सहायक संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति वर्ग से नियुक्तपकिया है।

*****